रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED NO. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1979/फाल्गुन 9, 1900
No. 98] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1979/PHALGUNA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

का. आ. 118(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे मंत्री द्वारा, जो यथास्थिति, संसद का सम्बद्ध राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं है, विदेशी आतिथ्य के स्वीकार किए जाने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 10 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक ऐसा मंत्री, किसी विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने से पूर्व,

उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों के अधीन जिनकी उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन ऐसी अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए विधान मण्डल के सदस्य से अपेक्षा की जाती है, केन्द्रीय सरकार से अनुज्ञा अभिप्राप्त कर लें।

[सं. 2/21022/339/76 एफ सी आर ए. 1]

जे. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1979

S.O. 118(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the acceptance of foreign hospitality by any Minister of the Central Government or of a State Government who is not a member of Parliament or of the Legislature of the State concerned, as the case may be, is likely to affect prejudicially the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 10 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), the Central Government hereby requires every such Minister to obtain permission of the Central Government before accepting any foreign hospitality to the same extent, and subject to the same conditions as a member of a Legislature is required to take such permission under section 9 of that Act.

[No. II/21022/339/76-FCRA. 1]

J. C. PANDEY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979